

मध्य प्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल-462004

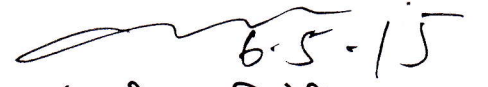
-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

क्रमांक एफ 02-10/2009/सत्ताईस-एक-इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2013 द्वारा श्रीमती गीता मिश्रा (से0नि0भा0प्र0से) को शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजना (नर्मदा संकुल) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष हेतु सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गयी एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 30.05.2014 द्वारा इस संविदा नियुक्ति अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की गयी है।

2/- राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती गीता मिश्रा की उक्त संविदा नियुक्ति अवधि में दिनांक 31.05.2015 से पूर्व निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष की वृद्धि करता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(लक्ष्मीकान्त दिववेदी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2015

पृ0 क्रमांक एफ 02-10/2009/सत्ताईस-एक,
प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल) परियोजनाएं, भोपाल।
2. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, भोपाल।
3. समस्त सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
4. कार्यपालक निदेशक, एन0एच0डी0सी0भोपाल।
5. महालेखाकार मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
6. सचिव, मान0मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव (समन्वय) मध्य प्रदेश, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
8. सचिव, शिकायत निवारण प्राधिकरण, इंदिरा सागर परियोजना, भोपाल।
9. संचालक(पुनर्वास/फील्ड) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इंदौर।
10. संचालक(प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
11. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।

निरंतर...2..